

संख्या 22/70/2017-कल्याण

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाये विभाग

द्वितीय तल, जीवनदीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2017

सेवा में,

श्री भगवत कुमार सेठ
05-गोपाल सिंह, पीलीभीत,
उत्तर प्रदेश - 262001.


विषय:-सुचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

महोदय,

आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 28.8.2017 जोकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हस्तातरण पर कल्याण अनुभाग में प्राप्त हुआ है, इस विषय मे, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित है। इसलिए, आपका आरटीआई आवेदन को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) (ii) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेषित किया जा रहा है।

2. श्री गुलाब सिंह, उप सचिव (कल्याण) इस विभाग में अपीलीय प्राधिकरण (एए) हैं।


भवदीय,


(अरुण कुमार)

सी.पी.आई.ओ./अवर सचिव
टेलीफोन: 011-23748725

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को उपर्युक्त आरटीआई आवेदन की एक प्रति के साथ अपेक्षित जानकारी सीधे आवेदक को प्रदान की जाये।


(अरुण कुमार)

सी.पी.आई.ओ./अवर सचिव

सं. ए-43011 / 339 / 2017-आरटीआई

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

तारीख: सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन


विषय : श्री भगवत कुमार सेठ, 05-गोपाल सिंह, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262001 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित आवेदन/प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2017 (जो आरटीआई सेल में 31.08.2017 को प्राप्त हुआ) की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। आरटीआई आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 में निहित अनुदेशों के तहत संबंधित जन सूचना अधिकारी/जन प्राधिकारी आवेदक को निर्धारित समय के भीतर माँगी गई सूचना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. सूचना भेजते/प्रदान करते/प्रेषित करते समय आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता भी सूचित करें, ताकि आवेदक सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके।

✓ सलग्न यथोपरि प्रेषित



अक्टूबर 04/09/2017
(ए के मण्डल)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 24365053

प्रेषित :

1. श्री डी. के. पाण्डा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
3. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003
4. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. श्री भवित्तलाल, अवर सचिव (आरटीआई), कानूनी मामले विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
6. श्री संजीव वाधवान, अवर सचिव, (आरटीआई), कमरा नं. 753-ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
7. श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी एवं सीपीआईओ, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, 16-बी, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060
8. श्री डी०के० मिश्रा, निदेशक (सामाजिक कल्याण), सामाजिक कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जीएलएनएस काम्प्लेक्स, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002
9. श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक एवं पीआईओ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश प्रशासन, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ-226001

May be प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

श्री भगवत कुमार सेठ, 05-गोपाल सिंह, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262001 :-आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2017 (जो आरटीआई सेल में 31.08.2017 को प्राप्त हुआ) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ/जन प्राधिकारियों को अंतरित किया जा रहा है। आवेदक को इस मामले में आगे की सूचना के लिए उपर्युक्त सीपीआईओ/जन प्राधिकारियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

Welfare fee 31/01/2018
Welfare (Welfare)
15/9/2018
R.D.C. (202101)

15/9/2018
R.D.C.

सेवा में,

रजिओ डाक

निदेशक / जन सूचना अधिकारी
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय—भारत सरकार
कक्ष सं 519, 'बी' विंग, पांचवा तल, पं ० दीनदयाल अन्त्योदय भवन
सी०जी०ओ० कॉप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003

महोदय,

'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' की धारा ६(१) के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क १०/- रु० मात्र का पोस्टल ऑर्डर सं ३६ एफ० ६७१२६३, इस प्रार्थना पत्र के साथ आपकी सेवा में प्रेषित है। मेरे विकलांग प्रमाण पत्र दि० २८.०५.१९९४ (छायाप्रति संलग्न, प्रपत्र सं ०१) का अवलोकन करके, निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा कीजिए।

RTI Cell
31/8/11
RTI Cell
Shri R.V.K.
PT. putup
09/08/11
09/08/11

बिन्दु सं ०१ :— कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति साधारण/सामान्य विकलांग की श्रेणी में हैं एवं कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति गम्भीर विकलांग की श्रेणी में हैं? कृपया सन्दर्भित विवरण की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा कीजिए।

बिन्दु सं ०२ :— किसी अचल सम्पत्ति के क्रय/अनुबन्ध/पट्टा विलेख पर, स्टाम्प एवं निबन्धन हेतु दिव्यांग को उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली NCR में मिलने वाली छूट के, नवीनतम शासनादेश एवं गजट की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिए।

बिन्दु सं ०३ :— घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में यदि ५० प्रतिशत ऑर्थोपैडिक दिव्यांग जन को किराये आदि में छूट का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित विवरण की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं ०४ :— ५० प्रतिशत ऑर्थोपैडिक दिव्यांग जन द्वारा किसी दो पहिया (स्कूटर) अथवा चार पहिया (कार) की खरीद पर, कुल कीमत अथवा विभिन्न टैक्सों में रियायत का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं ०५ :— निजी व्यवसाय करने हेतु दिव्यांग जन को कम ब्याज दर अथवा सब्सिडी पर २० (वीस) लाख अथवा उससे अधिक राशि का ऋण दिये जाने का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए, पीलीभीत से निकटतम, सम्बन्धित संस्था का डाक पता, सम्पर्क नं ० एवं ई मेल आई०डी० अंकित करने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं ०६ :— दिव्यांग जन के न्यायालय में लम्बित वादों के गुण—दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण (expedite) का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान/शासनादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं ०७ :— गरीब दिव्यांग जन को इलाज के लिये यदि अनुदान/बिना ब्याज का ऋण दिये जाने का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

आपको अवगत कराना है कि 'जन सूचना अधिकार' के अन्तर्गत निजी जीवन से सम्बन्धित सूचनायें मात्र ०२ दिन में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान (छायाप्रति संलग्न, प्रपत्र सं ०२) है। कृपया वांछित सूचनायें मय सन्दर्भित दस्तावेजों की छायाप्रति के, यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये। आपकी अति कृपा होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
दिनांक : 28.08.2017

B.R.Leth
भगवत् कुमार सेठ
०५—गोपाल सिंह, पीलीभीत (उ० प्र०)—२६२००१

No. C. M. O /Handicapped/93

Dated

28/9/94

HANDICAPPED CERTIFICATE

Certificate that Km./Smt/Shri Pilibhit Distt. Pilibhit
D/o W/o/S/o Shri Late Sh. Suresh Prasad
R/o Moh..... S. Hospital Begl Road
..... Distt. Pilibhit.

appeared before the undersigned for his/her medical examination. On Examination we found that.....

Pilibhit THR (Total hip no place & lessened)
was stiff both thigh muscle

This is permanent disability. Hence he/she comes under the category of physically orthopaedically handicap person.

M. I. Black male first below R. nostril

B K Seth
Signature/Thumb Impression
Attested

Orthopaedic
Surgeon

Eye
Surgeon

E. N. T.
Surgeon

Chief Medical Officer
Pilibhit
Chief
PILIBHIT

Reg. No. 116 Date 14-9-94
Ch. Med. Officer
Pilibhit

मुख्य विधायक सभा कार्यालय
परिषद

16. नक्से के लिए निर्देश—इस विवरण की बार 6 की भाग पक्षने से स्पष्ट है कि नक्से को ज्ञानित हो अधिकारियों के अधीन सूचना प्राप्त करना चाहता है उसको अधिकारियों के अधीन विहित प्राधिकारी के समका लिखित नियंत्रण करना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि सूचना की भाँग करने काला एक व्यक्ति द्वारा का एक नामांक है या उसका वापसी में एक प्रदाता हित है। सभ्य के तुम्हें के रूप में बार 6 का उपबंध स्पष्ट कारण से विहित हो व्यक्ति को सूचना का अधिकार प्राप्त करता है, अधिकारियों के अधिकार से अवाधि नहीं होता है। इस आधार पर सूचना वा प्राप्तान्तर कि इनकी वज्रे सूचना के प्रदाता ने लिए नियंत्रण करने का सुने जाने का दोहरा भी अधिकार नहीं होता है, आवाहीन है और उनके पास दोहरा कर दिया जाता है।

[संक्षेप वाक्य इनाम व अव बार 6 की तुम्हारी विवरण का अन्त, ए० आई० आर० 2006 शास्त्रों 19]

16. सूचना वा अधिकार द्वारा सूचना का अवाधि—सूचना वा अधिकार अधिकारियों 2006 के अधीन प्राधिकारी को या तो सूचना को या सूचना को का प्रलयाण्डन करने के लिए एक आवारण सूचना प्राप्त करना पड़ता है। नियाय जाने इत्यादि के सूचना अतिरिक्त प्राप्तव्य अधिकारियों 2006 के अधीन कंपूर नहीं को या उठाती है जो एककार्यों के सारभूत अधिकारियों के लिए लेती है। वापी-कापी सूचना पक्षकार को एक प्रदाता के रूप में जीवी जागिल किया जाता है और आवारण, और आवेदन सम्बन्धी विविध प्राप्तव्य वाली जानी चाहिए। जब कभी वे अतिरिक्त प्राप्तव्यों सूचना प्राप्त करने के लिए कोई जारी है तब यह विविध की प्राप्तव्यों का अवारण किये जाना प्राप्तिकारी द्वारा भंगूर नहीं की जा सकती। नियाय जाने का एक विविध प्राप्तव्य करना दूसरा सूचना अधिकारियों के दूसरों वाला आवारण की आवश्यकता चाहता है।

सदाचारी यथा अधिकारियों द्वारा होता है या नहीं होता है, एक विविध जावा है। इसका विविधव्य दूसरा सूचना अधिकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरा सूचना अधिकार ने दूसरी पक्षकार (वापी) के विविध लिए हो जाने के एक अवेदन प्राप्ति किया है (३) एकीक्य सूचना पक्षकार उसके साथ द्वितीय अपील में एक पक्षकार वही या; (४) दूसरी पक्षकार जो सुनने का एक अवारण प्रदान किये जाना; और (५) जो प्रथम अपील एवं द्वितीय कार्राल को घबर करने का अधिकार भी ग्रहण कर लेता है। अतएव, दूसरा सूचना अधिकार जावा अपार्टमेंट किये जाने वो व होता है।

[संक्षेप वाक्य इनाम की तुम्हारी विवरण का अन्त, ए० आई० आर० 2006 (शुल्करा) 2]

7. नियंत्रण का नियम—(1) बारा 5 की उपवारा (2) के परंतुक या बारा 6 की उपवारा (3) के परंतुक के अपील रहते हुए, बारा 6 के अधीन अनुरोध के आप सोने या, चयास्तिति, योन्नीय लोक सूचना दावकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी व्यावहारिकीता है, और किसी भी रक्त में अनुरोध की प्राप्ति के लिए यह के लिए, ऐसी फीस के संबंध पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या बारा 8 और बारा 9 में विनियिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परंतु यह भाँगी वही अवारणी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन वा रखावता से है, वह वह अनुरोध आप सोने के अनुत्तरीय घटे के पीछे उपलब्ध करता है जावी:

(2) वही चयास्तिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना